

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

क्रं	फर्द अहकाम	रकम
------	------------	-----

06 $\frac{10}{25}$ पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवान दिलाने पर श्री काशीगण एवं उनके अधिवक्ता उप. नहीं हुए। अतः मु. नं. 07/2023 उन्वान अज्ञात वसाम शुद्धी का वाकू घोषणा खातेदारी, इन्हाज कुसुती एवं स्याई निवेद्याज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टिमेन्सी एक अरुम पैरनी अरुम हाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसस शुमाद होकर बाद तम्गील नं. सै कम की जाकर अखिल दफत है।
आदेश खुले न्यायालय में

सुमाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)